NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015

NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015

1 Background:

1.1. The phenomenal rise in drug trafficking and drug abuse amongst the youth, children and adolescents has serious implications, adversely affecting national health and economy. Curbing it is the highest priority for the State as well as the society.

1.2. It is an open secret that drugs have spread their dreaded tentacles on innocent children, adolescents, youth and women. The horrible dimension, which this menace has acquired, can be gauged from the average age of initiation of drugs which is as low as nine-ten years. Recent empirical studies reveal that about 7 crore people in India are involved in substance abuse, out of whom about 17% are addicts.

1.3. The illicit cultivation of plants wherefrom the substances/drugs are derived is an area of major concern. Generally, people are unaware of the ill effects of such cultivation. In order to prevent illicit cultivation of substances, participation of Panchayati Raj Institutions and Local Bodies is necessarily required.

1.4. Although many agencies of the State as well as Non-Governmental Organizations are working in the field for eradication of drug trafficking and drug abuse, there is lack of coordination amongst them. Individual efforts of different functionaries and agencies have not achieved the desired results. Experience shows that the victims of drug abuse have no idea how to tackle the issues of treatment and rehabilitation.

1.5. Considering the fact that Legal Services Institutions can contribute a lot to curb this menace, a resolution was passed in the 13th All India Meet of State Legal Services Authorities held at Ranchi (Jharkhand), concluding that Drug Addiction and Drug Abuse

should be a major area of concern for all Legal Services Institutions and a necessity was felt to examine the issue therein.

2 Existing Legal Provisions

2.1 The efforts to combat the menace of Narcotic Drugs and Trafficking started at the International level with Single Convention on Narcotic Drugs by the United Nations in March, 1961 and thereafter a protocol amending the resolution of this Convention was adopted in March, 1972. The United Nations Convention on Psychotropic Substances was held in 1971, followed by United Nations Convention against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs & Psychotropic Substances, 1988. India is signatory to all such Conventions.

2.2 Article 47 of the Constitution of India mandates that State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.

2.3 The growing trend of illicit drug traffic and drug abuse, at the National level, has led to the passing of comprehensive legislations: (i) The Drugs and Cosmetics Act, 1940 and (ii) The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, for prohibition, control, regulation, cultivation, manufacture, sale transportation, consumption etc. of narcotic drugs and psychotropic substances. Despite tough laws, illicit drug trade, in an organized manner, is growing manifold.

2.4 It is in this background that it was felt by NALSA, that Legal Services Institutions have a significant role to play in supply and demand reduction and de-addiction and rehabilitation. A Committee was constituted for the purpose of understanding the dimensions of the problem and defining the role of the Legal Services Institutions to effectively address the problem. This Scheme has been framed on the deliberations of the Committee based on the inputs received at the Regional Conference on the

'Drug Menace in India – Overview, Challenges and Solutions' at Manali, Himachal Pradesh.

3 Name of the Scheme

The Scheme shall be called **"NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015"**. (hereinafter referred to as "the Scheme").

4 Definitions

In this scheme unless the context otherwise requires,

a) "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987)

b) "NDPS Act" means The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act,1985 (Act no.61 of 1985)

c) "Legal Service" means as defined under section 2(c) of Legal Services Authorities Act 1987.

d) Legal Services Clinic means a clinic as defined under regulation 2 (c) of National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) regulations 2011.

e) Legal Services Institution means a State Legal Service Authority, Supreme Court Legal Services Committee, High Court Legal Services Committee, District Legal Service Authority or Taluk Legal Service committee, as the case may be.

f) Panel Lawyer means the panel lawyer selected under regulation 8 of the National Legal Services Authority (free and competent legal services) regulations 2010.

g) Para Legal Volunteer means a Para Legal Volunteer defined and trained under the NALSA Scheme for Para Legal Volunteers (Revised) and Module for the Orientation – Induction – Refresher Courses for PLV Training. trained as such by a legal services institution.

h) All other words and expressions used but not defined in this scheme and defined in the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) or the National Legal Services Authorities rules,1995 or National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010 shall have the same meaning respectively assigned to them in the said Act or Rules or Regulations.

5 The Objectives of the Scheme

5.1 To disseminate awareness amongst the general masses regarding the Legal Provisions, various Policies, Programmes and Schemes, in respect of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances as well as to create awareness about the ill effects of drug abuse amongst the children in schools and colleges, street children, urban slum children, injective drug user(s), families, prisoners, workers in unorganized Sector, Chemists, drug pedlars, sex workers and general masses etc.

5.2 Organizing literacy camps for sensitizing the farmers who are carrying out permissible cultivation of various substances/source plants about the adverse health and life threatening effects of consumption of such drugs and substances.

5.3 To spread awareness amongst the parents, teachers and students about the ill effects of the substance abuse.

5.4 To sensitize the various stakeholders viz; Judiciary, Prosecution, Members of Bar, Police, Forensic Laboratories, De-addiction Centres, Corrective Homes, Rehabilitation Centres, School, College and University administration, Children Homes, Old-age Homes, NariNiketans, Schools for Special Children, Ministerial Staff of Courts, etc. about the drug menace and effective measures to curb it.

5.5 To mobilize the available infrastructure in identifying the victims of drug abuse, their treatment and post detoxification rehabilitation.

5.6 To tap the potential of the Panchayati Raj Institutions/Local Bodies at grassroot level for intervention and prevention of drug abuse and destruction of illicit cultivation of plants used to derive the drugs/ substances.

5.7 To maintain effective coordination with the Drug De-Addiction Centres. and Rehabilitation Centres etc. for better facilities and respect for the rights of the victims and to intervene, if any, breach is noticed.

5.8 To coordinate the activities of various stakeholders working in the field.

5.9 To ensure essential legal services to the victims of drug trafficking and drug abuse.

Plan of Action

6 Establishment of Special Units

6.1 The State Legal Services Authority (hereinafter referred to as SLSA) shall, within one monthof the communication of this scheme, establish Special Units in all the Talukas/ Mandals/ Sub Divisions in the State, consisting of Judicial Officer(s), young lawyer(s) to be nominated by the Chairman, DLSA, Medical Officer(s) to be nominated by the Chief Medical Officer concerned, a Revenue/Police/Forest Officer(s) nominated by the Chief Secretary, social worker, Para Legal volunteer and a representative of NGO(s) having done substantial work for eradication of drug menace or rehabilitation and de-addiction, and accredited with NALSA. The Special Units shall be headed by the Chairman of the Taluka/ Mandal/ Sub Divisional Legal Services Committee (hereinafter referred to as TLSC), under the overall supervision of the Chairman, DLSA.

6.2 Such Special Units shall comprise of not more than ten members. The Secretary, DLSA shall be the Nodal Officer for the District. The

Secretary, Taluka Legal Services Committee shall be Secretary of the Special Units.

6.3 After the constitution of the Special Units, the DLSAs shall conduct training programmes for members of the Special Units, as per module of NALSA.

6.4 The Special Units shall submit regular action taken reports to the SLSA through Chairman, DLSA, who will forward it along with his/her comments.

6.5 The Special Units shall, in terms of the scheme, within 15 days of its constitution, prepare a Micro Level Programme to be carried out/performed in their respective areas for tackling, intervention & prevention of drug abuse.

6.6 Such programme(s) shall be forwarded by the Chairman of the DLSA to the Member Secretary of the SLSA, who, in turn, shall place the same for approval, before the Executive Chairman. The Executive Chairman SLSA, may accord sanction with or without amendments, within 15 days.

6.7 Apart from the functions assigned to them under the provisions of this scheme, the Special Units shall also perform any other function, which SLSA may assign from time to time.

7 Creation of Database

(a) The SLSAs shall create a Database of all the existing Policies, Schemes, Regulations, Directives, Preventions, Rules, Declarations and Reports available for effective prevention, protection, rehabilitation, elimination of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and upload the same on its website and share the same with NALSA.

8 Implementation of various schemes.

(a) The SLSAs shall take all steps to disseminate the information regarding policies, schemes, programmes to the general public

and in particular, to the victims of Drug abuse, their families and the functionaries of De-addiction / Rehabilitation Centers

(b) The Special Units shall display such information prominently in their offices and shall get suitable booklets/pamphlets/placards etc, printed, as approved by the SLSA.

9 Destruction of Illicit cultivation

The SLSAs shall coordinate with the State Governments for the destruction of illicit cultivation of cannabis and opium as well as any other plant used to derive Narcotic and Psychotropic Substances. The SLSAs may also urge the State Government to include such destruction as admissible work under MNREGA Scheme. This will pave the way for the destruction of illicit plants on a large scale besides, encouraging community involvement in the entire campaign.

10 Participation of Local Bodies/Panchayati Raj Institutions at grassroot level

The participation of these institutions shall be in the following manner:-

(a) Special Units shall coordinate with the Panchayati Raj Institutions to identify areas, where substances such as charas/ganjaetc are being illegally cultivated. Reports so prepared by the Special Units shall be forwarded to the SLSA through the Chairman DLSA and with the approval of the Executive Chairman, SLSA, the matter shall be taken up with the concerned authorities for appropriate action.

(b) The Special Units shall seek assistance of Panchayati Raj Institutions to identify the drug addicts and injective drug user(s) for making arrangements for their treatment and rehabilitation.

© The Special Units shall also seek assistance of the Panchayati Raj Institutions for spreading awareness about ill effects of drugs in the rural areas.

(d) The Special Units should as far as is possible associate the MahilaMandals and YuvakMandals or other similar self helpgroups of the area in such campaigns

11. Awareness

11.1 Awareness in Schools/Colleges

The Special Units shall coordinate with Legal Literacy Clubs in schools and Legal Services Clinics in colleges to conduct awareness and sensitization programmes in the Schools and Colleges, to make students aware of the ill effects of drugs.

(a) The awareness and sensitization programmes could be conducted through various modes, such as;

- i. Starting awareness campaign in the school/cluster of schools under the banner of "run against drug abuse" by associating the "Icons" of the area.
- ii. Awareness camps
- iii. Holding regular Parents-Teachers meetings.
- iv. Through Mass Literacy campaigns
- v. Through Symposiums. Seminars, Debates etc.
- vi. Organizing quiz and essay writing competitions about the ill effects of drug abuse
- vii. Nukkad Nataks; Any other similar and innovative manner
- viii. Any other similar and innovative manner

(b) The teachers in the schools/colleges should also be involved in awareness/sensitization programmes.

© Pamphlets/booklets prepared by the NALSA/SLSA should be distributed to the students in awareness/sensitization programmes.

(d) Such pamphlets/booklets will also be distributed at all awareness camps and also help at front offices and legal services clinics

(e) Inclusion of Chapter on Drug Abuse in School and College Curriculum - An endeavour for compulsorily getting a chapter on drug abuse included in the curriculum of Schools and Colleges, by taking up the matter with respective Education Boards and Universities

11.2 Awareness to the families of the victims of Drug Abuse

Children generally become victims of drug abuse in those families where the affectionate bond between children and parents is either loosened or obliterated or where parents or family members consume drugs /substances.

(a) The Special Units should identify the families of victims of drug abuse and the parents who are habituated to either one or other forms of addiction and shall sensitize them to build parental bonds with their children. The focus will be on persuading the parents to interact with children, supervise their activities and to talk to the teachers about their children and their behaviour and that drug addiction can be cured.

(b) Awareness must be raised to aid in the de-stigmatization of addiction as well as the mental illnesses arising out of it, in order for addiction to be recognised as any other health problem and treated at the earliest

11.3 Awareness amongst Street Children

a) Large number of victims of drug abuse are the street children. They are the most neglected and vulnerable class, generally abandoned and left out by their families. Hence, there is a greater need to ensure their safety along with NGOs working with street children.

(b) The Special Units shall identify the addicted street and urban slum children and make arrangement for admitting them to De-Addiction Centre(s) or Rehabilitation Centre(s), as the case may be.

11.4 Awareness amongst the victims of drug abuse

With the identification of the drug addicts, Special Units shall conduct regular sensitization programme(s) for them by associating Psychologists and Doctors. Role Models and the persons who have achieved success in the field of Sports, Cinema, Literature etc. may be associated in such programmes.

11.5 Awareness Programmes for sex workers

The Special Units shall organize strategic awareness programmes in the red-light areas, targeting the sex workers and their children about the ill effects of drug abuse.

11.6 Awareness Programmes in Jails.

The Legal Services Institutions shall organize periodical awareness and sensitization programmes for inmates of jails and jail staff about the ill-effects of the narcotic drugs.

11.7 Awareness amongst General Public

a) The Special Units shall periodically organize Legal Literacy Camps on ND&PS Act in the areas where farmers are permitted to cultivate opium or other such plants with special focus on spreading awareness about the ill effects of illegal sale or consumption of narcotic substances.

(b) The general public shall be made aware of the fact that giving secret information to police about illegal possession, transportation, sale or cultivation etc. of drugs or prohibited and banned drugs is protected under law and their identity is kept secret.

c) The Special Units shall also organize regular Legal Literacy Camps for transporters and taxi operators for educating them about the consequences and ill effects of drugs.

d) The Legal Services Institutions Special Units shall display sign boards, hoardings etc. about the stringent provisions of the NDPS Act and ill effects of drug abuse at public places such as Bus-Stands, Railway Stations, Airports, Public and Private Schools, Universities, Panchayat Bhawans, Courts, District Collectorates, SDM offices etc.

(e) The Special Units shall organize awareness camps in Villages, Fairs and Festivals about the ill effects of the drug abuse.

(f) The Special Units shall organize awareness camps in resettlement colonies, residential areas, market places by involving various organizations/ associations.

(g) The SLSAs will endeavour to involve Postal Authorities, Courier Agencies, and Financial Institutions to sensitize their staff about the drugs being transported clandestinely through these agencies.

11.8. <u>Awareness amongst Chemists and Peddlers</u>

(a) The Special Units shall sensitize the chemists and druggists about the ill effects of the drugs.

(b) Chemists may be trained to watch out for children and youth who are buying prescription drugs on a regular basis and refuse to sell them such drugs.

(c) The Drug Peddlers shall be identified and similar sensitization programmes shall also be conducted for them.

(d) Police could also be sensitized to be involved in the prevention of addiction by keeping a watch on suspicious activities by street vendors, paan stalls etc.

11.9 <u>Awareness through Electronic and Print Media</u>.

SLSAs should organize regular Radio talks and Television programmes on harmful effects of drugs and means to curb the same.

Judicial Officers, Lawyers, Psychologists, Psychiatrists, Police Officers, Icons etc. shall be associated in these programmes.

12. Co-ordination with De-addiction/Rehabilitation Centres

(a) The Special Units shall visit the Rehabilitation and De-addiction Centre(s) situated within their jurisdiction at least once in a month. The Special Units will draw up a list of rehabilitation and de-addiction centres in the Taluk and will continuously update the information. It shall also forward the list to the SLSA along with details of who is running the same and their background

(b) The Special Units will inspect the facilities at the rehabilitation/de-addiction centre(s) to assess the adequacy of the facilities

(c) The Special Units shall inspect the record regarding visits of the counselor, psychologist and Doctors.

(d) The Special Units will check the staff ratio to see that there is no shortage of staff and staff strength is commensurate to the number of victims at the drug rehabilitation centres.

(e) Whenever the Special Units find inadequacy in staff, infrastructure or facilities, the Special Units will make appropriate recommendations in this regard to the DLSA, who, shall take up the matter with the concerned authorities and ensure that the deficiencies are removed.

(f) In case, the Special Unit comes across any violation of human rights of victims, it shall promptly file a report with the Chairman, TLSC who shall look into the report and apply his mind before initiating legal proceedings. The TLSC will also grant legal assistance where such proceedings are to be initiated on behalf of the victim.

(g) The Special units shall gather information from the rehabilitation centre(s) and shall send monthly report to the DLSA concerned, mentioning therein, the details of victims, activities undertaken and

visits of Psychologist(s) and Doctor(s) and the corrective measures, if any, taken on the report of the Special Units.

(h) The Special Units will arrange and organize periodical awareness camps for the victims. Cultural and other Socially Active Groups shall be associated in such awareness camps with an aim to bring the victims to the main stream of the society.

13. Training/Refresher Courses for Stakeholders

The SLSAs shall arrange and organise either by themselves or along with the State Judicial Academies, sensitization programmes, refresher courses, special trainings and conferences for Judicial Officers, Prosecutors, members of the bar, police officers and ministerial staff of the Courts.

14. Observance of International Day against Drug Abuse on 26th June

All Legal Services Institutions with the help of Special Units shall organize awareness programmes on 26th June every year for observing "International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking" for creating awareness about drug abuse and its consequences.

15. Association of Reformed Drug Addicts.

The Special Units shall identify former drug addicts in their areas and associate them in the awareness camps to share their experiences.

16. Anti Drug Clubs

(a) The School and College authorities shall be requested and involved by Special Units for opening Anti Drug Clubs in the School(s)/College(s) so that the students become role models and make their colleagues aware of ill effects of drugs.

(b) The Special Units shall organize sensitization programmes through Anti Drug Clubs in School(s)/College(s). Legal literacy

clubs and legal services clinics should be used for this as mentioned earlier.

17. Involvement of Para Legal Volunteers

The Para-Legal Volunteers shall be imparted training about various Schemes, who in turn shall visit different areas and make aware and sensitize people about the ill-effects of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.

18. Recognition of Good Work

At the end of every financial year, the SLSA should commend outstanding work done by the members of the best Special Units in the State.

****

नालसा (नशा पीडितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना , 2015

1. पृष्ठभूमि

1.1 नवयुवकों, किशोरों एवं बालको में ड्रग तस्करी एवं दुरूपयोग की असाधारण बढोतरी गंभीर व जटिल निहितार्थ सूचित करती है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करती है। इसकी रोकथाम राज्य के साथ साथ समाज की सर्वोत्तम प्राथमिकता है।

1.2 यह एक खुला राज है की ड्रग/नशा ने निर्दोष बच्चों, नव बालकों, नव युवकों एवं महिलाओं के ऊपर अपना भयानक शिकंजा कस लिया है। इसका खतरनाक फैलाव इससे प्रतीत होता है की नशे की शुरुआत 9-10 वर्ष की किशोर आयु से हो जाती है। आधुनिक प्रयोगात्मक अध्ययन से ज्ञात हुआ है की भारत में लगभग 7 करोड़ लोग पदार्थ दुरुपयोग में लगे है जिनमे से 17% लोग इसके आदी है।

1.3 जिन पौधों से यह पदार्थ / ड्रग बनाये जाते है उनकी अवैध खेती गंभीर चिंता का विषय है। सामान्यत: लोग ऐसी खेती के दुष्प्रभाव से अवगत नहीं होते। पदार्थ की अवैध खेती रोकने के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकासो की भागेदारी आवश्यक रूप से अपेक्षित है।

1.4 राज्य की कई एजेन्सियों के साथ साथ गैर सरकारी संगठन भी नशीले पदार्थो की तस्करी और मादक पदार्थो के उन्मूलन के क्षेत्र में कार्यरत है परन्तु उनके बीच समन्वय की कमी है। अभिकरणों एवं विभिन्न पदाधिकारियों के व्यक्तिगत प्रयासों भी अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त कर सके हैं।

1.5 इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि विधिक सेवा संस्थाएं इस खतरे के उन्मूलन में बड़ा योगदान दे सकती हैं, रांची (झारखण्ड) में हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के तेरहवें अखिल भारतीय सम्मलेन में एक संकल्प लिया गया था जिसका निष्कर्ष यह था कि नशों की लत एवं नशा का दुरूपयोग समस्त विधिक सेवा संस्थाओं के लिए एक गम्भीर चिंता का विषय है एवं इसकी आवश्यकता महसूस की गयी थी कि इस समस्या का परीक्षण किया जाए।

2. मौजूदा विधिक प्रावधान

2.1 संयुक्त राष्ट्र द्वारा मार्च 1961 में नशीले ड्रग्स पर एकल संधि द्वारा नशीले ड्रग्स एवं तस्करी के खतरे के उन्मूलन का प्रयास आरम्भ हुआ था एवं तत्पश्चात इस संधि के

प्रस्ताव को संशोधित करने हेतु मार्च 1972 में एक विज्ञप्ति अपनाई गयी थी। वर्ष 1971 में मन: प्रभावी पदार्थो की संयुक्त राष्ट्र संधि हुई थी एवं उसके पश्चात वर्ष 1988 में नशीले ड्रग्स एवं मन: प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संधि हुई। भारत ऐसी समस्त संधियों का हस्ताक्षरी है।

2.2 भारत के संविधान का अनुच्छेद 47 यह आदेश देता है कि राज्य स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाले नशीले मदिरा एवं ड्रग्स के उपयोग को सिवाय उन ड्रग्स के जो दवाओ के औषधिय प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त होते है, निषेध करने के बारे में प्रयास करेगा।

2.3 अवैध ड्रग तस्करी एवं ड्रग दुरूपयोग के राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता हुए रुझान ने– व्यापक विधानों को पारित करने के लिए प्रेरित किया है :- (i) औषधि एवं प्रसाधान सामग्री अधिनियम, 1940 एवं (ii) स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के निषेध, नियंत्रण, विनियमन, खेती, निर्माण, बिक्री परिवहन, खपत आदि के लिए। कठोर विधियों के बावजूद अवैध ड्रग व्यापार संयोजित ढंग से कई गुना बढ़ता ही जा रहा है।

2.4 इसी पृष्ठभूमि में नालसा ने अनुभव किया कि मांग एवं पूर्ति कम करने, लत छुड़ाने एवं पुनर्वास में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। समस्या के आयामों को समझने के उद्देश्य के लिए एवं विधिक सेवा संस्थानों की प्रभावी ढंग से समस्या का समाधान करने के लिए भूमिका परिभाषित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह योजना 'भारत में ड्रग का खतरा –संक्षिप्त विवरण, चुनौतियाँ एवं समाधान' विषय पर मनाली, हिमाचल प्रदेश में हुए स्थानीय सम्मलेन में समिति के विचार विमर्श से प्राप्त आयामों पर बनाई गई है।

3. योजना का नाम

यह योजना नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाऐं एवं नशे का उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 कहलाएगी।

4. परिभाषाएं

इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39 वां) है।

(ख) 'एन डी पी एस अधिनियम' से अभिप्राय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1965 का 61वां) है।

(ग) 'विधिक सेवा' से तात्पर्य वैसा ही है जैसा विधिक सेवा प्राधिकरण की धारा 2(c) के अंतर्गत परिभाषित है।

(घ) 'विधिक सेवा क्लीनिक' से तात्पर्य वह क्लीनिक है जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लीनिक) विनियम, 2011 के अंतर्गत 2(ग) में परिभाषित है।

(च) 'विधिक सेवा संस्था से अभिप्राय' राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समित अथवा जैसा कि मामला हो, है।

(छ) 'पैनल लॉयर' से अभिप्राय वो पैनल लॉयर हैं जिनका चयन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अंतर्गत हुआ हो।

(ज) 'अर्ध विधिक स्वयंसेवी' से अभिप्राय वो 'अर्ध विधिक स्वयं सेवी' है जो नालसा की पैरा-लीगल वालंटियर्स (संशोधित) योजना - पैरा लीगल वालंटियर्स प्रशिक्षण माड्यूल में परिभाषित है।

(झ) अन्य समस्त शब्द एवं भाव जो प्रयोग किये गए हैं परन्तु इस योजना में परिभाषित नहीं किये गए हैं और वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39वां) अथवा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 अथवा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा), विनियम, 2010 के अंतर्गत परिभाषित हैं उनका क्रमश: वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम अथवा नियम अथवा विनियम में उन्हें प्रदान किया गया है।

5. योजना का लक्ष्य

5.1 आम जनता के बीच विधिक प्रावधानों, विभिन्न नीतियों, कार्यक्रम एवं योजनाएं, स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थों के विज़य के साथ-साथ विद्यालयों तथा महा विद्यालयों के बच्चों, गली के बच्चों, नगर झोपड़पट्टी के बच्चों, सुई से ड्रग लेने वालों, परिवारों, कैदियों, असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वालों, दवा बेचने वालों, ड्रग प्रयोग करने वालों, यौन कर्मियों एवं जन साधारण आदि में ड्रग दुरूपयोग के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाना।

5.2 विभिन्न पदार्थों स्रोत/पौधों की जायज खेती करने वाले किसानों में ऐसे ड्रग एवं पदार्थों के सेवन के प्रतिकूल स्वास्थ्य एवं जीवन हानिकारक प्रभाव के विषय में संवेदनशीलता लाने हेतु साक्षरता शिविरों का आयोजन करना।

5.3 माता-पिता तथा शिक्षकों तथा विद्यार्थियों में पदार्थ दुरूपयोग के विषय में जागरूकता फैलाना।

5.4 विभिन्न भागीदारों अर्थात न्यायपालिका, अभियोजन, बार के सदस्यों, पुलिस, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, नशा मुक्ति केन्द्रों, सुधार गृह, पुनर्वास केन्द्रों, विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय प्रशासन, किशोर गृह, वृद्धाश्रमों, नारी निकेतनों, विशेष किशोर विद्यालयों, न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारीगण, इत्यादि को ड्रग के खतरों एवं इसके उन्मूलन के प्रभावी उपायों के विषय में संवेदनशील बनाना।

5.5 ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों को पहचानने, उनका उपचार करने तथा नशा मुक्ति के पश्चात उनके पुनर्वास में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को गतिमान करना।

5.6 पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों की क्षमता जमीनी स्तर पर ड्रग दुरुपयोग की रोकथाम एवं निवारण तथा ड्रग/पदार्थों में उपयोग होने वाले पौधों की अवैध खेती के दुरुपयोग और विनाश करने हेतु हस्तक्षेप और रोकथाम के प्रयासों के लिए उपयोग करना।

5.7 नशा मुक्ति केन्द्रों एवं पुनर्वास केन्द्रों इत्यादि के बीच बेहतर सुविधाओं के लिए प्रभावी सहयोग पैदा करना और पीड़ितों के अधिकार का सम्मान करना और यदि कोई अतिक्रमण/उल्लंघन प्रतीत हो तो बीच बचाव करना।

5.8 क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न भागीदारों के कार्य कलापों में सहयोग पैदा करना।

5.9 ड्रग तस्करी एवं ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों को आवश्यक विधि सेवा सुनिश्चित करना।

कार्य योजना

6. विशेष इकाइयों की स्थापना

6.1 इस योजना की सूचना मिलने के एक मास के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एतद् पश्चात एस.एल.एस.ए. निर्देशित) राज्य के समस्त तालुकाओं/मण्डलों उप मण्डलों में विशेष इकाइयाँ स्थापित करेगा जिनमें डी.एल.एस.ए. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत न्यायिक अधिकारीगण, नव युवक अधिवक्तागण, सम्बंधित मुख्य चिकित्सीय अधिकारी द्वारा मनोनीत चिकित्सीय अधिकारीगण, मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत राजस्व/पुलिस/वन अधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्ता, अर्द्ध विधिक स्वयंसेवी और ड्रग के खतरे के उन्मूलन अथवा पुनर्वास एवं नशा मुक्ति हेतु ठोस कार्य करने वाले किसी स्वयंसेवी संस्था जो नालसा से जुड़ी हो, के प्रतिनिधि होंगे। विशेष इकाईयों की अध्यक्षता तालुका/मंडल/उपमंडल विधिक सेवा समिति (एतद् पश्चात टी.एल.एस.सी. निर्देशित) के अध्यक्ष डी.एल.एस.ए. अध्यक्ष के व्यापक पर्यवेक्षण के अंतर्गत करेंगे।

6.2 ऐसी विशेष इकाईयों में दस से अधिक सदस्य नहीं होंगे। डी.एस.एल.ए. के सचिव जिले के नोडल अधिकारी होंगे। तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव विशेष इकाइयों के सचिव होंगे।

6.3 विशेष इकाइयों का संगठन होने के पश्चात नालसा के माडडूल के अनुसार विशेष इकाइयों के सदस्यों के लिए डी.एल.एस.ए. प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

6.4 विशेष इकाइयाँ किये गए कार्य की नियमित रिपोर्ट एस.एल.एस.ए. को डी.एस.एल.ए. अध्यक्ष द्वारा देती रहेंगी जो उन्हें अपनी टिप्पणियों सहित आगे भेजने होंगे।

6.5 ये विशेष इकाइयॉं अपने गठन के 15 दिवसों के भीतर ड्रग एब्यूज से निपटने, हस्तक्षेप और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु अपने–अपने सम्बंधित क्षेत्रे में होने वाले कार्यक्रमों का एक सूक्ष्म स्तरीय कार्यक्रम तैयार करेंगी।

6.6 ऐसे कार्यक्रम डी.एल.एस.ए. के अध्यक्ष द्वारा एस.एल.एस.ए. के सदस्य सचिव को भेजे जायेंगे जो अपने तौर पर उसे अनुमोदन हेतु कार्यपालक अध्यक्ष के समक्ष रखेंगे । एस. एल.एस.ए. के कार्यपालक अध्यक्ष संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन, 15 दिन के अन्दर अपनी अनुमति दे देंगे।

6.7 इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त विशेष इकाइयाँ उन अन्य कार्य को भी करेंगी जो उन्हें एस.एल.एस.ए. समय–समय पर सौंपती रहेगी।

7. डाटा बेस तैयार करना

एस.एल.एस.ए.स समस्त विद्यमान नीतियों योजनाओं, विनियमों, निदेश, निवारण, नियम, उदघोषणाओं तथा अभिलेखों का डाटाबेस तैयार करेंगे जो स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थों के प्रभावी निवारण, रोकथाम उन्मूलन पर उपलब्ध होंगे और इसे अपने वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और नालसा को इस विषय में बताएँगे।

8. विभिन्न योजनाओं को लागू करना -

(क) एस.एल.एस.ए.स जन साधारण को और विशेष रूप से ड्रग दुरुपयोग के पीड़ितों, उनके परिवारों तथा नशामुक्ति पुनर्वास केन्द्रों के कार्यकारियों को नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के विषय में सूचना फैलाने हेतु समस्त कदम उठाएंगे।

(ख) विशेष इकाइयाँ ऐसी सूचना को प्रमुखता से अपने कार्यालय में दर्शायेंगी तथा उचित पुस्तिकाएं/ पर्चे / तख्तियों, आदि को छपवाएगी, जैसा कि एस.एल.एस.ए.स द्वारा अनुमोदित हो।

9. अवैध उपजाव का नष्टीकरण

स्वापक एवं मन: प्रभावी पदार्थ बनाने में प्रयोग किये जाने वाले भाँग तथा अफीम के साथ अन्य किसी पौधो की अवैध खेती के नष्टीकरण में एस.एल.एस.ए.स राज्य सरकार का सहयोग करेंगी। एस.एल.एस.ए.स राज्य सरकार से यह भी आग्रह करेंगी कि ऐसे नष्टीकरण कार्य को मनरेगा

योजना के अंतर्गत स्वीकार्य कार्य के रूप में सम्मिलित किया जाए। यह बड़े स्तर पर अवैध पौधों के नष्टीकरण का रास्ता प्रशस्त करेगी और इसके साथ ही इस पूरे अभियान में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

10 भूमि स्तर पर स्थानीय निकायों / पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी इन संस्थाओं की भागीदारी निम्न प्रकार से होगी -

(क) विशेष इकाइयां पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर उन क्षेत्रें को जहाँ चरस/गांजा, इत्यादि जैसे पदार्थों को अवैध रूप से उपजाया जाता है की शिनाख्त करेगी / विशेष इकाइयों द्वारा इस प्रकार तैयार की गई रिपोर्ट डी.एस.एल.ए. चेयरमैन के द्वारा एस.एल.एस.ए. को अग्रेषित की जायेगी एवं कार्यपालक अध्यक्ष, एस.एल.एस.ए. के अनुमोदन से मामले को उचित कार्रवाई हेतु सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाएगा।

(ख) विशेष इकाइयाँ ड्रग की लत वाले व्यक्तियों एवं सुई से ड्रग लेने वाले व्यक्तियों की पहचान हेतु, उनके उपचार एवं पुनर्वास हेतु प्रबंध करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की सहयता लेंगी।

(ग) विशेष इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रें में ड्रग के दुष्प्रभावों के बारें में जागरूकता फैलाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की सहायता भी लेंगी।

(घ) विशेष इकाइयों को, जहाँ तक संभव हो, ऐसे प्रचार में महिला मण्डलों एवं युवक मंडलों अथवा क्षेत्र के अन्य समान स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ना चाहिए।

11. जागरूकता

11.1 विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरुकता

विद्यालयों और महाविद्यालयों में, छात्रों को ड्रग्स के दुष्प्रभावों के बारे में जागरुक बनाने हेतु, विशेष इकाईयाँ विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरुकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम चलाने हेतु, विद्यालयों में विधिक साक्षरता क्लबों और महाविद्यालयों में विधिक सेवा क्लिनिकों के साथ समन्वय स्थापित करेंगी।

(क) जागरुकता और संवेदनशीलता कार्यक्रमों को विभिन्न तरीकों से आयोजित किया जा सकता हैं, जैसे-

i) विद्यालयों/विद्यालयों के समूह में ड्रग दुरूपयोग के विरुद्ध यात्रा के बैनर के अंतर्गत क्षेत्र के 'प्रतिष्ठित' व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए जागरुकता कार्यक्रम आरंभ करना।

ii) जागरुकता शिविर द्वारा अभिभावकों-अध्यापकों की नियमित बैठकों के आयोजन द्वारा। सामूहिक साक्षरता अभियानों द्वारा।

iii) परिसंवाद, संगोष्ठी, वाद-विवादों आदि के कार्यक्रमों द्वारा।

iv) ड्रग दुरूपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में प्रश्नोत्तरी तथा निबन्ध-लेखन प्रतियोगिताओं के आयोजन द्वारा।

v) नुक्कड़ नाटकों : इसी प्रकार के किसी अन्य तथा नए तरीकों द्वारा। कोई अन्य इसके समान तथा नए तरीकों द्वारा।

(ख) विद्यालयों/महाविद्यालयों के अध्यापकों को भी जागरुकता/संवेदनशील कार्यकर्मों में भागीदार बनाना चाहिये।

(ग) जागरुकता/संवेदनशीलता कार्यक्रमों में नालसा/एस.एल.एल.ए. द्वारा निर्मित प्रचार-पुस्तिकाओं/पुस्तिकाओं व पर्चो को छात्रों में वितरित करना चाहिये।

(घ) ऐसे प्रचार-पुस्तिकाओं/पर्चो को सभी जागरुकता अभियानों में और मुख्य कार्यालयों एवं विधिक सेवा क्लीनिकों में वितरित किया जाएगा।

(च) विद्यालय/महाविद्यालय पाठ्क्रम में ड्रग दुरूपयोग पर अध्याय को शामिल करना- विद्यालय एवं महाविद्यालय के पाठ्क्रम में आवश्यक रूप से ड्रग दुरूपयोग पर अध्याय शामिल करने हेतु संबन्धित शिक्षा परिषदों एवं विश्वविद्यालयों से निवेदन करना।

11.2 ड्रग दुरूपयोग के पीड़ितों के परिवारों को जागरूक करना।

जिन परिवारों में बच्चों और अभिभावकों के बीच स्नेहमय संबंध शिथिल या खत्म हो जाते हैं अथवा जिनके अभिभावक या परिवार-जन ड्रग/मादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, सामान्यता वे बच्चे ड्रग दुरूपयोग के पीड़ित बन जाते हैं।

(क) विशेष इकाईयों को ड्रग दुरूपयोग के पीड़ितों के परिवारों और उन अभिभावकों को जो किसी एक अथवा अन्य प्रकार के नशो की लत के आदी हैं, पहचानना चाहिए एवं उनको अपने बच्चों के साथ पैतृक संबंध बनाने हेतु संवेदनशील बनाना चाहिए। अभिभावकों को बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए राजी करने, उनके क्रिया-कलापों के पर्यवेक्षण और अध्यापकों से उनके छात्रों और उनके व्यवहार के बारे में बात करने एवं नशों की लत पहचानने की और इसके इलाज की जागरूकता पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

(ख) जागरुकता लाई जानी चाहिए ताकि लत के कलंक को मिटाया जा सके व इससे उत्पन्न मानसिक पीड़ाओं का उपचार किया जा सके क्योंकि नशों की लत को भी किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता मिलें और इसका जल्द से जल्द उपचार किया जा सकें।

11.3 लावारिस बच्चों में जागरूकता

(क) ड्रग दुरूपयोग के पीड़ितों में सर्वाधिक संख्या लावारिस बच्चों की है। ये सबसे अधिक उपेक्षित एवं कमजोर वर्ग है, सामान्यता: परित्यक्त एवं उनके परिवारों द्वारा छोड़े गये हैं। इसलिए, लावारिस बच्चों के साथ कार्य करने वाली एनजीओ के साथ इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अति आवश्यकता है।

(ख) विशेष इकाईयाँ व्यसनी लावारिस और शहरी स्लम बस्ती के बच्चों को पहचान करेंगी और उनको नशा-मुक्ति केंद्र (केन्द्रों) या पुनर्वास केंद्र (केन्द्रों), जैसी भी स्थिति हो, में दाखिला करने हेतु प्रबंध करेंगी।

11.4 ड्रग दुरूपयोग के पीड़ितों के बीच जागरुकता

ड्रग की लत वाले व्यक्तियों की पहचान के साथ, विशेष इकाईयाँ मनोचिकित्सकों एवं डाक्टरों के साथ मिलकर उनके लिए नियमित संवेदनशील कार्यक्रम (कार्यक्रमों) का संचालन करेंगी। ऐसे कार्यक्रमों में प्रेरणास्रोत व्यक्तियों और खेल, सिनेमा, साहित्य आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जायेगा।

11.5 यौन कर्मियों हेतु जागरुकता कार्यक्रम

विशेष इकाईयाँ रेड-लाइट क्षेत्रों में यौन कर्मियों और उनके बच्चों को ड्रग दुरूपयोग के दुष्परिणामों के बारे में बताने के लिए युक्तिपूर्वक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी।

11.6 जेलों में जागरूकता कार्यक्रम

विधिक सेवा संस्थान जेल के कैदियों तथा जेल स्टफ के लिए स्वापक औषधियों के दुष्प्रभाव के विषय में समय-समय पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करेगा।

11.7 आम जनता के बीच जागरूकता

(क) विशेष इकाइयां स्वापक पदार्थों की गैरकानूनी बिक्री अथवा उपभोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने पर विशेष ध्यान देते हुए ऐसे क्षेत्रों में जहां किसानों को अफीम अथवा ऐसे अन्य पौधों की खेती की मंजूरी प्राप्त है, समय-समय पर स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करेंगी।

(ख) आम जनता को इस बात के प्रति जागरूक बनाया जाएगा कि प्रतिबंधित व वर्जित औषधियों /ड्रग्स के गैरकानूनी कब्जे, ढुलाई, बिक्री व खेती आदि के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना देना। कानून के अंतर्गत संरक्षित है तथा उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है।

(ग) विशेष इकाइयां परिवाहकों (ट्रांसपोर्टरों) व टैक्सी चालकों को ड्रग्स के परिणामों व दुष्प्रभावों के बारे में साक्षर बनाने के लिए भी नियमित रूप से विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करेंगी।

(घ) विधिक सेवा संस्थान विशेष इकाइयाँ स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के कड़े प्रावधानों तथा ड्रग्स के दुरूपयोग के बारे में सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सरकारी व निजी विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पंचायत भवन, न्यायालयों, जिला कलक्टरी, उपमंडल दंडाधिकारी कार्यालयों आदि पर सूचनापट्ट विज्ञापन पट्ट आदि प्रदर्शित करेंगी।

(च) विशेष इकाइयाँ ड्रग्स के दुरूपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में गाँवों, मेलों व त्योहारों में जागरूकता शिविर आयोजित करेंगी।

(छ) विशेष इकाइयां पुनर्वास कालोनियों, आवासीय क्षेत्रों, बाजारों में विभिन्न संगठनों/समितियों के साथ मिलकर जागरूकता शिविर आयोजित करेंगी।

(ज) एस.एल.एस.ए. डाक विभाग, कोरियर एजेंसियों तथा वित्तीय संस्थानों को उनके कर्मचारियों को इन एजेंसियों के माध्यम से गुप्त रूप से ड्रग्स की आवाजाही (ढुलाई) के प्रति संवेदनशील रहने के लिए शामिल करने हेतु प्रयास करेगी।

11.8 केमिस्ट व औषधि / ड्रग्स विक्रेताओं के बीच जागरूकता

(क) विशेष इकाइयाँ केमिस्ट व औषधि विक्रेताओं को ड्रग्स के दुष्प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाएगी।

(ख) केमिस्टों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाए कि वे नियमित रूप से चिकित्सीय ड्रग्स खरीदने वाले बच्चों व युवाओं के प्रति सतर्क रहें व उन्हें यह ड्रग्स बेचने से इंकार करें।

(ग) ड्रग्स बेचने वालों की पहचान की जायेगी तथा उनके लिए भी समान रूप से संवेदनशील बनाने वाले कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

(घ) पुलिस को भी संवेदनशील बनाया जा सकता है कि वह गली विक्रेताओं, पान की दुकानों आदि में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे व इस व्यसन की रोकथाम में शामिल हो।

11.9 इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया के द्वारा जागरूकता

एस.एल.एस.ए. को ड्रग्स के दुष्प्रभावों व इससे छुटकारा पाने के साधनों पर नियमित रेडियो वार्ताएं व टीवी कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इन कार्यक्रमों में न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, पुलिस अधिकारियों, आदर्श व्यक्तियों आदि को शामिल किया जाएगा।

12. नशामुक्ति/पुनरुद्धार केन्द्रों के साथ समन्वय

(क) विशेष इकाइयां माह में कम से कम एक बार अपनी अधिकार क्षेत्र में आने वाले नशामुक्ति व पुनर्वास केन्द्रों का दौरा करेंगी। विशेष इकाइयाँ तालुका के भीतर पुनर्वास व नशामुक्ति केन्द्रों की एक सूची तैयार करेंगी तथा सूचना को लगातार अद्यतन करेंगी । यह इस सूची को इन्हें चलाने वाले व इनकी पृष्ठभूमि के ब्योरे सहित एस.एल.एस.ए. को भी भेजेंगी।

(ख) विशेष इकाइयाँ पुनर्वास/ नशामुक्ति केन्द्रों में सुविधाओं की पर्याप्तता का आकलन करने हेतु इनमें प्रदान की गयी सुविधाओं का निरीक्षण करेंगी।

(ग) विशेष इकाइयाँ सलाहकार, मनोवैज्ञानिकों व डाक्टरों के दौरों के बारे में अभिलेख का निरीक्षण करेंगी।

(घ) विशेष इकाइयाँ यह देखने हेतु कि ड्रग्स पुनर्वास केन्द्रों में स्टाफ की कमी न हो तथा स्टाफ पीड़ितों की संख्या के अनुरूप हो, कर्मचारियों के अनुपात की जाँच करेंगी।

(च) विशेष इकाइयों को जब भी कर्मचारियों की संख्या या आधारभूत सुविधाओं में कमी नजर आए, वे इस सम्बन्ध में डी.एल.एस.ए. को उपयुक्त सिफारिशें करेंगी जो मामले को सम्बद्ध प्राधिकारियों तक ले जायेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि कमियाँ पूरी कर दी गयी हैं।

(छ) यदि विशेष इकाई पीड़ितों के मानव अधिकार का उल्लंघन देखती है, तो वह तुरंत टी. एल.एस.सी. के अध्यक्ष को एक रिपोर्ट दाखिल करेगी जो इस रिपोर्ट पर गौर करेंगे और कानूनी कार्यवाही करने से पहले मामले पर स्वयं विचार करेंगे । टी.एल.एस.सी. उन मामलों में कानूनी सहायता भी प्रदान करेगी जहां पीड़ित की ओर से कानूनी कार्यवाही की जानी हो।

(ज) विशेष इकाई पुनर्वास केन्द्रों से सूचना भी प्राप्त करेंगी एवं सम्बंधित डी.एल.एस.ए. को मासिक रिपोर्ट भेजेगी जिसमें पीड़ितों का ब्यौरा, की गयी गतिविधियाँ, मनोचिकित्सकों व डाक्टरों के दौरे का विवरण एवं विशेष इकाई की रिपोर्ट पर किये गए सुधार के उपायों, यदि कोई हों, को भी दिया जाएगा।

(झ) विशेष इकाई पीड़ितों के लिए समय-समय पर जागरूकता शिविर का प्रबंध एवं आयोजन करेगी। सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक रूप से सक्रिय समूहों को भी ऐसे जागरूकता शिविरों में पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य के साथ शामिल किया जाएगा।

13. हिस्सेदारों का प्रशिक्षण / रिफ्रेशर कोर्स

एस.एल.एस.ए. स्वयं अथवा राज्य न्यायिक अकादमी के साथ मिलकर न्यायिक अधिकारियों, अभियोजकों, विधिक परिषद के सदस्यों, पुलिस अधिकारियों एवं न्यायालय के मंत्रालयी कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, रिफ्रेशर कोर्स, विशेष प्रशिक्षण एवं सम्मलेन का प्रबंध एवं आयोजन करेगी।

14. 26 जून, को ड्रग्स के दुरूपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना

समस्त विधिक सेवा संस्थाएं विशेष इकाई की सहायता से प्रतिवर्ष 26 जून को 'ड्रग्स के दुरूपयोग एवं इसके अनैतिक व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाने के लिए व ड्रग्स के दुरूपयोग व इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे।

15. ड्रग्स के व्यसन से सुधारे हुए व्यक्तियों का सहयोग

विशेष इकाई अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों की पहचान करेगी जो पूर्व में ड्रग्स के व्यसन में लिप्त रहे हों, एवं जागरूकता शिविरों में उनके अनुभव को बताने हेतु उनको शामिल करेगी।

16. ड्रग्स विरोधी क्लब

(क) विशेष इकाइयां विद्यालयों व महाविद्यालयों को निवेदन करेंगी व उन्हें विद्यालयों/महाविद्यालयों में ड्रग्स विरोधी क्लब खोलने के लिए शामिल करेंगी ताकि विद्यार्थी आदर्श बनें व अपने साथियों को ड्रग्स के दुष्प्रभावों की जानकारी दें।

(ख) विशेष इकाइयाँ विद्यालयों/महाविद्यालयों में ड्रग्स विरोधी क्लबों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। जैसा कि पहले वर्णित है, इसके लिए विधिक साक्षरता क्लब व विधिक सेवा क्लीनिक का प्रयोग किया जाना चाहिए।

17. अर्ध विधिक स्वयंसेवियों को शामिल करना

अर्ध विधिक स्वयंसेवियों को विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जो बदले में भिन्न-भिन्न क्षेत्रें में जायेंगे व लोगों को स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनायेंगे।

18. अच्छे कार्यों की सराहना

प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में, एस.एल.एस.ए. द्वारा राज्य में सर्वश्रेष्ठ विशेष इकाइयों के सदस्यों के द्वारा किये गए विशिष्ठ कार्यों को सराहा जाना चाहिए।